**(क) ट्रैक सप्लाई आइटम :**

आर.डी.एस.ओ. द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं (विवरण आपूर्तिकर्ता नीति पर उपलब्ध) से थोक प्रापण किया जाता है, वेंडर विकास और वेंडरों का अनुमोदन देना आर.डी.एस.ओ. द्वारा किया जाता है। उत्तर मध्य रेलवे पर कोई अनुमोदित वेंडर सूची नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आर.डी.एस.ओ. की वेबसाईट httpx.//www.rdso. gov.in पर संपर्क करें।

**(ख) निर्माण कार्य ठेका :**

**विषय : निर्माण कार्य ठेका हेतु सीमित निविदाएं आमंत्रित करने हेतु ठेकेदारों की अनुमोदित सूची।**

अधिकतर निर्माण कार्यों का निष्पादन खुली निविदाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए ठेकेदारों की अनुमोदित सूची आवश्यक नहीं है। खुली निविदाओं के मामले में सभी पात्र ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों और इंटरनेट के माध्यम से उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। ऐसे ठेकेदार जो उस कार्य के लिए अपेक्षित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं।

केवल कुछ विशिष्ट और अत्यावश्यक प्रकृति के कार्यों के लिए ही सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, इसमें केवल उन्हीं ठेकेदारों को भाग लेने की अनुमति दी जाती है जो ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में पंजीकृत हैं।

रेलवे बोर्ड द्वारा अपने पत्रों (i) सं. 2007/सीई-1/सीटी/18 दिनांक 28.09.2007 (ii) सं. 2003/सीई-1/सीटी/4 पीटी दिनांक 12/16.05.2006 तथा सं.2007/सीई-1/सीटी/18 दिनांक 30.06.2009 के माध्यम से ठेकेदारों की अनुमोदित सूची तैयार करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार "ए" श्रेणी के ठेकेदारों को प्रधान कार्यालय द्वारा पंजीकृत किया जाएगा और "बी" तथा "सी" श्रेणी के ठेकेदारों को मंडलों में पंजीकृत किया जाएगा। प्रधान कार्यालय और मंडल स्तर पर जब ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में पंजीकरण हेतु अधिसूचना जारी की जाएगी तब खुली निविदा की तरह ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि इच्छुक ठेकेदार संबंधित श्रेणी में अपना पंजीकरण करा सकें। तथापि इस समय प्रधान कार्यालय और मंडल स्तर पर ठेकेदारों की कोई अनुमोदित सूची नहीं है।

रेलवे बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार पंजीकरण प्रक्रिया में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। तथापि बोर्ड के संदर्भ सहित मौजूदा प्रक्रिया नीचे दी गई है।

संख्या : 2007/सीई-1/सीटी/18 दिनांक 30.06.2009

1- बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई और पात्रता मानदंडों में संशोधन किया गया है। चयन समिति का गठन, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी तथा अनुमोदित सूची में पंजीकरण कराने हेतु ठेकेदारों द्वारा जमा की जाने वाली शुल्क की राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

| ठेकेदार की श्रेणी | रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.09.2007 के अनुसार स्लैब तक | पात्रता मानदंड |
|---|---|---|
| श्रेणी "सी" | रु.25 लाख | (i) उनका एक इंजीनियरी संगठन होना चाहिए जिसमें इंजीनियरी डिप्लोमा धारी एक इंजीनियर होना चाहिए जिसे संबंधित डिसिप्लिन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।<br>(ii) सूचीकरण के समय उनके द्वारा कम से कम ऐसे दो कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित हुए होने चाहिए जिसमें से प्रत्येक कार्य की लागत कम से कम 10-10 लाख रुपए हो।<br>(iii) पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान ठेके के भुगतान के रूप में उन्हें कम से कम रु. 25 लाख का भुगतान प्राप्त हुआ हो। |
| श्रेणी "बी" | रु.25 लाख से अधिक तथा रु. 1 करोड़ से कम | (i) उनका एक इंजीनियरी संगठन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक ग्रेजुएट इंजीनियर होना चाहिए जिसे संबंधित डिसिप्लिन का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो और उनके पास उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुरूप परिवहन उपकरणों के न्यूनतम साधन होने चाहिए।<br>(ii) सूचीकरण के समय उनके द्वारा कम से कम ऐसे दो कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित किए जाने चाहिए जिसमें से प्रत्येक कार्य की लागत कम से 25-25 लाख रुपए हो।<br>(iii) पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान ठेके के भुगतान के रूप में उन्हें कम से कम रु. 1 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ हो। |

| | | |
|---|---|---|
| श्रेणी "ए" | रु. 1 करोड़ से अधिक तथा रु. 5 करोड़ से कम | (i) उनका एक इंजीनियरी संगठन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक ग्रेजुएट इंजीनियर होना चाहिए जिसे संबंधित डिसिप्लिन का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो और उनके पास उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुरूप परिवहन उपकरणों के न्यूनतम साधन होने चाहिए।<br>(ii) सूचीकरण के समय उनके द्वारा कम से कम ऐसे दो कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित किए होने चाहिए जिसमें से प्रत्येक कार्य की लागत कम से 1-1 करोड़ रुपए हो।<br>(iii) पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान ठेके के भुगतान के रूप में उन्हें कम से कम रु. 5 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ हो। |

ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु चयन समिति के गठन तथा स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है।

| कोटि/स्लैब | चयन समिति का गठन | स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी |
|---|---|---|
| "सी" रु. 25 लाख तक | 2 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (कार्यपालक एवं वित्त विभाग का 1-1 अधिकारी) | मंडल में मंडल रेल प्रबंधक/ मंडल से भिन्न कार्यालयों में कार्यपालक विभाग का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी |
| "बी" रु.25 लाख से अधिक तथा रु. 1 करोड़ से कम | 2 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (कार्यपालक विभाग एवं वित्त विभाग का 1-1 अधिकारी) | मंडल में मंडल रेल प्रबंधक/ मंडल से भिन्न कार्यालयों में कार्यपालक विभाग का वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी |
| "ए" रु. 1 करोड़ से अधिक तथा रु. 5 करोड़ से कम | 2 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी (कार्यपालक विभाग एवं वित्त विभाग का 1-1 अधिकारी) | प्रमुख विभागाध्यक्ष |

(2) उपर्युक्त के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ इसमें निम्नलिखित तथ्य तथा पैरा 1215 ई एवं 1216 के संशोधन भी शामिल हैं –

(i) सामान्यतया ऐसे किसी ठेकेदार को किसी कार्य के निष्पादन अथवा आपूर्ति का कार्य नहीं सौंपा जाएगा, जिसकी क्षमता और वित्तीय स्थिति की जाँच परख इससे पहले न की गई हो और उसे संतोषजनक न पाया गया हो।

(ii) तीन वर्ष में एक बार विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार कर इच्छुक ठेकेदारों को विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण कराने हेतु आमंत्रित किया जाए।

(iii) जहाँ तक स्वतंत्र तथा सक्षम एजेंसी के रूप में संतोषजनक ढंग से कार्य निष्पादन करने के इच्छुक ठेकेदारों की क्षमता की जाँच का संबंध है, यदि रेलवे के कार्य के संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने की उनकी वित्तीय क्षमता, विशेषज्ञता क्षेत्र, पिछले अनुभव, व्यक्तिगत रूप से अथवा सक्षम एवं योग्य/प्राधिकृत इंजीनियरों/पर्यवेक्षकों के माध्यम से कार्य के पर्यवेक्षण की योग्यता के बारे में जाँच करना आवश्यक हो, तो उनके सूचीकरण करने से पहले तत्परता पूर्वक उनकी जाँच करा ली जानी चाहिए।

(iv) पंजीकृत ठेकेदारों से उन्हें सूचनाएं भेजने की लागत तथा निविदाओं इत्यादि के लिए लिपिकीय प्रभार के रूप में रु. 2000/- का वार्षिक शुल्क लिया जाएगा।

(v) "ठेकेदारों की अनुमोदित सूची" को गोपनीय सरकारी रिकार्ड माना जाएगा और उस सूची में शामिल किसी ठेकेदार का नाम किसी दूसरे ठेकेदार को पता नहीं चलना चाहिए। इसे साफ-सुथरे और स्पष्ट तरीके से अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

(vi) इसमें से नाम हटाने के लिए प्रतिवर्ष इसकी समीक्षा की जानी चाहिए जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी यदि इसमें परिवर्धन करना हो तो प्रत्येक छह माह में एक बार किया जाएगा जो 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होगा।

(vii) यदि एक बार कोई ठेकेदार अनुमोदित सूची में शामिल हो जाता है तो वह तीन वर्ष के लिए वैध होगा जब तक कि वार्षिक समीक्षा के दौरान उसे सूची से निकाल नहीं दिया जाता अथवा समग्र अनुमोदित सूची की वैधता अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जो भी पहले हो।

(viii) प्रत्येक कार्य की कोटि के लिए ओपेन लाइन और निर्माण संगठन के लिए अलग-अलग अनुमोदित सूची होगी।

(ix) श्रेणी "बी" एवं "सी" के लिए ओपेन लाइन की अनुमोदित सूची मंडलवार अनुरक्षित की जाएगी और "ए" श्रेणी के लिए पूरी रेलवे के लिए एक कामन सूची निर्माण संगठन में होगी। श्रेणी "बी" एवं "सी" के लिए उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण वार पूर्व निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के लिए और श्रेणी "ए" की सूची मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/महाप्रबंधक (निर्माण) के लिए होगी।

(x) ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में पंजीकरण कराने हेतु ठेकेदार को श्रेणी "सी", "बी" एवं "ए" के लिए क्रमश: रु. 15,000/- (पंद्रह हजार रुपए),रु. 20,000/-( बीस हजार रुपए)

एवं रु. 30,000/- (तीस हजार रुपए) की अप्रतिदेय (नान-रिफंडेवल) शुल्क जमा करना होगा।

(xi) इससे उन्हें स्थायी बयाना राशि नहीं जमा करना होगा।

3. यह ऊपर की मद (iii) से (vii) में संदर्भित पत्र सं. 88/सीई-1/सीटी/74 दिनांक 17.09.1997, सं 94/सीई-1/सीटी/4 दिनांक 20.10.2001, 8/15.02.2002, 20.03.2002 तथा 17.10.2002 का अधिक्रमण करता है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।